

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- १४/२०१२

श्याम बहादूर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
07.05.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2204, दिनांक 24.07.2012 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को श्याम बहादूर सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-69/2007, पंचायत-अरना, प्रखंड- मशरक, थाना-मशरक की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं०-4 (श्री अनील चौधरी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी:-</p> <ol style="list-style-type: none">(1) लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं।(2) संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं।(3) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना।(4) कैशमेमो नही देना।(5) उपकरण का सत्यापन नहीं कराना।(6) बी०पी०एल०का खाद्यान्न 25 कि०ग्रा० 150 रु० में तथा 2.50 लीटर तेल 50 में देना। <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 593, दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत</p>	

किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि तक विक्रेता को लाभकों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी। भंडार में खाद्यान्न या अन्य सामग्री नहीं थी, क्योंकि सभी सामग्री उपभोक्ताओं के बीच वितरित की जा चुकी थी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से सभी अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में जमा किया गया था। विक्रेता के द्वारा कूपन के आधार पर वितरण पंजी में हस्ताक्षर/निशान कराकर सामग्री का वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अपने वार्ड से माप-तौल उपकरण का सत्यापन कराया जाता है। विभागीय दिशा निदेश के आलोक में विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का निर्धारित मात्रा में निर्धारित मूल्य पर वितरण किया जाता है। विक्रेता से व्यक्तिगत दुश्मनी रखने वाले कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, जो गलत है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2204, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरुद्ध दिए गए कुछ उपभोक्ताओं के बयान रक्षित हैं, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस

निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक..... 313/न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।